न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगूसराय

(पीठासीन पदाधिकारी– श्री बिजेन्द्र कुमार)

विविध वाद संख्या– 21/2026
(मूल भरण पोषण वाद संख्या– 118/2024 से उत्पन्न)

शांति देवी बनाम राम उदगार सिंह

<u>आदेश दिनांक– 15.07.2026</u>

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत वाद आवेदिका शांति देवी के द्वारा भरण–पोषण की धनराशि की वसूली के लिए विपक्षी राम उदगार सिंह के विरूद्ध दायर किया गया है। इसे आज उत्तरवादी के उपस्थिति के लिए रखा गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि उत्तरवादी के विरुद्ध नजारत सम्मन निर्गत किया गया था जिसका तामिला प्राप्त हुआ, जिसमें वर्णित किया गया है कि विपक्षी का मृत्यु हो गया है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे लम्बित रखे जाने व कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं तामिला प्रतिवेदन के अनुसार उत्तरवादी राम उदगार सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण वर्तमान वाद की कार्यवाही बंद किया जाता है। कार्यालय लिपिक आवश्यक कार्रवाई के पश्चात् नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
ह0/–
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बेगूसराय।
15.07.2026